

श्री यादव, के नाम से है। इस लिए आप
उनको बोलने दीजिये।

Mr. Deputy-Speaker: I have heard the Members. I have heard Dr. Lohia. All the three principles enunciated by him are accepted. All Members of Parliament are equal. The roads are free in India, but the traffic police have got a duty to perform, they have to prevent accidents. The statement says that he had already given clear to the other side. The Prime Minister of India should be given some consideration. So, there is no question of privilege. I uphold my earlier decision.

श्री अशु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय,
उन सिद्धान्तों को मंत्री जी ने नहीं माना है।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय,
आप मेरी बात तो सुन लीजिये। माननीय सदस्य ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस को चेंलेंज किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आप एक माननीय सदस्य के बयान को स्वीकार करेंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।
माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामसेवक यादव : आप मेरा निवेदन सुन लें। आप ने थोड़ा अन्याय किया है। आप के सामने माननीय सदस्य ने एक बयान दिया और ट्रैफिक पुलिस ने एक दूसरा बयान दिया। आप किस के बयान को स्वीकार करेंगे? इस लिए विशेषाधिकार कमेटी को सुपुर्द करने के लिए यह एक जबर्दस्त मामला बन जाता है। आप को यह फ़ैसला करना होगा कि माननीय सदस्य ग़लतबयानी कर रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस का तरफ़ से ग़लत-बयानों का गई है।

श्री किशन पटेलवाक्य : उपाध्यक्ष महोदय,
इस तरह से यह अन्याय ख़त्म नहीं हो सकता है।

Mr. Deputy-Speaker: No more now. That point is over. Please sit down.

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री ने कहा है कि प्रधान मंत्री का एक विशेष स्थान है। मैं यह चाहता हूँ कि इस लोक सभा में इस सिद्धान्त को ठुकराया जाये, जलाया जाये और यह बात कहने वाले को भाँ ठुकराया जाये। यह लोक सभा है, जिसमें सब बराबर हैं।

Mr. Deputy-Speaker: I have disallowed it. Please sit down

12.38 hrs.

OPINION ON BILL

Shri A. S. Salgal (Janjgir): I beg to lay on the Table Paper No. I to the Bill to provide for the better administration of Sikh Gurdwaras situated in different States of Indian Union and for inquiries into matters connected therewith which was circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House on the 3rd September, 1965.

12.38½ hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following Message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 15th March, 1966, agreed without any amendment to the Imports and Exports (Control) Amendment Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 10th March, 1966."